

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, प्रयागराज।

पत्रांक :-

सेवा में,

दिनांक:-

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

प्रयागराज मण्डल,

प्रयागराज।

विषय:-

राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जानें के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

महोदय

आपका पत्रांक 4572-73/2026-27 दिनांक 31.08.2026

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सरस्वती बाल मन्दिर सीनियर सकेण्ड्री स्कूल, चकदाउद नगर नैनी, प्रयागराज के विद्यालय भवन हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2025 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जानें की अपेक्षा की गयी है।

तत्कम में खण्ड के प्रभारी अवर अभियन्ता द्वारा सरस्वती बाल मन्दिर सीनियर सकेण्ड्री स्कूल, चकदाउद नगर नैनी, प्रयागराज का निरीक्षण किया गया। विद्यालय प्रबन्धक द्वारा राजकीय मान्यता प्राप्त पंजीकरण आर्किटेक्ट, श्री जितेन्द्र जैन ADA Regd No.CA/97/21516, Council of Architecture, 99-C South Malaka, Jain Market, Prayagraj (211003) U.P. से भवन का प्लान तैयार कराकर एवं भवन का स्ट्रक्चरल डिजाइन के अनुरूप भवन का निर्माण कराये का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्यालय प्रबन्धक द्वारा उपरोक्त के साथ-साथ अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया गया है।

उपरोक्त अभिलेखों आधार पर निम्नलिखित शर्तों एवं राष्ट्रीय भवन संहिता-2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है :-

1. भवन में फायर एण्ड लाइट सेफ्टी एण्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फायर सेफ्टी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशनल (आई0एस0-14435,1997) के अनुसार व्यवस्था की जायेगी एवं सभी शिक्षकों को इनके प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भी फायर सेफ्टी विभाग से प्राप्त कर लिया जाय।
2. भवन में इलेक्ट्रिकल एवं वायरिंग इक्यूपमेन्ट आई0एस0आई0 मार्क होने चाहिये तथा एवं विद्युत विभाग से सुरक्षित विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से प्राप्त कर लिया जाय।
3. विद्यालय भवन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की ज्वलनशील एवं टॉक्सिक सामग्री एकत्रित की जाय।
4. किचन से सम्बन्धित किया कलाप विद्यालय के मुख्य भवन से बाहर रहेंगे।
5. विद्यालय के प्रयोगार्थ वाटर स्टोरेज टैंक संस्थान के मुख्य भवन से बाहर होंगे।
6. प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के पूर्व टीम विशेषज्ञ जैसे इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों का संयुक्त रूप से निरीक्षण करा लिया जाय।
7. भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त की किया जाय एवं इसकी सूचना सभी सम्बन्धित विभागों को दी जाय।

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0

प्रयागराज

दिनांक:- 17/09/2026

पत्रांक :- 551/A.E.III/कम्प/2026

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित अवर अभियन्ता (सिविल/प्रा0), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 प्रयागराज।
4. प्रबन्धक सरस्वती बाल मन्दिर सीनियर सकेण्ड्री स्कूल, चकदाउद नगर नैनी, प्रयागराज।



सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0

प्रयागराज